न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर)

पीठासीन अधिकारी : हनुमानाराम आर.ए.एस.

कैम्प :– ग्राम पंचायत आकोली

दिनांक 11.05.2023

प्रकरण संख्या 67 / 2022

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. भाखराराम पुत्र खम्मुराम
कौम विश्नोई निवासी
निवासी तैतरोल

1. राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार , चितलवाना
2. कालूराम पुत्र खम्मुराम
3 पूनमाराम पुत्र खम्मुराम
4 वरजुदेवी पत्नि खम्मुराम
कौम विश्नोई निवासी
तैतरोल , चितलवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवं धारा 136 अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 11.05.2023

उपस्थितः

1 श्री बाबूलाल विश्नोई वकील प्रार्थी ।

2. श्री प्रार्थी श्री भाखरारा ।

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया की मौजा तैतरोल के खेत खसरा संख्या 378 , 378/836, 390, 477, 478 एंव 480 जुमले रकबा 5.15 हैक्टर मुझ वादी एवं प्रतिवादी कालूराम , पूनमाराम एवं वरजूदेवी के कब्जाकाश्त मालिकाना हक की पैतृक सयुंक्त खातेदारी भूमी के आये हुए है जो पुराने खसरा संख्या 363 , 364 एवं 397 से नवसृजित किये गये है । वक्त प्रथम सेटलमेंट पुराने खसरा संख्या 364 व 354 के [illegible] राजस्व रिकोर्ड में रास्ता खसरा संख्या 356 दर्ज किया गया परन्तु मौके पर [illegible] तथा वर्तमान में कोई रास्ता मौजुद है । द्वितिय सेटलमेन्ट अधिकारी ने [illegible] भूल करते हुए मौके पर रास्ते का नक्शा बनाते समय भारी भूल कर मौके पर रास्ते का कोई अस्तित्व नहीं होते हुए गैर मुमकिन कटान रास्ता खसरा संख्या 380 गलत रूप से खेत के मध्य सृजित कर दिया गया । अतः कटाण रास्ता खसरा संख्या 380 की वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम गलत होने से पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार कि जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:37 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

उक्त नवीन खसरा का बंटवाड़ा होने से 4755/1476 व 4753/1475 का नवीन खसरा का सृजन किया गया । पुराना खसरा 1101 द्वितिय सैंटलमेन्ट से पुर्व बारानी सोयम था तथा इस खेत में कोई रास्ता नही था द्वितिय सैंटलमेन्ट ने गलत तरीके से बिना किसी आधार खेत की भूमि को रास्ते में बदलते हुए राजस्व ट्रेस नक्शा में रास्ता दर्ज कर दिया गया । अतः हम प्रार्थीगण के खातेदारी खेत पुराना खसरा संख्या 1101 के नवसृजित खसरा संख्या 1475, 4753/1475 व 4752/1475 की किस्म पुर्व रिकोर्ड अनुसार गैर मुमकिन रास्ता से बारानी सोयम व नक्शे में रास्ता की आकृति को हटाने का आदेश फरमावें ।

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पंचायत आकोली में पेश हुई प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील तथा अप्रार्थीगण उपस्थित जिसको मजमें आम में सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया मौजा तैतरोल के खसरा संख्या 368 एवं 390 के मध्य खसरा संख्या 380 मध्य आया हुआ है । लोक अदालत की भावना से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण खातेदारी के मध्य से रास्ता हटाकर खसरा संख्या 368 की पूर्वी माठ पर रास्ता रिकोर्ड में दर्ज करने हेतु सहमत है साथ ही रास्ते की जितनी भूमि खातेदारी में दर्ज होती है उतनी अपनी खातेदारी में से कम कर राजहक में रास्ता हेतु देने पर सहमत है । इस प्रकार किसी भी तरह से आवागमन बाधित नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा तैतरोल के खसरा संख्या 380 गैर मुमकिन रास्ता के आंशिक भाग जो खसरा संख्या 368 व 390 के मध्य है उसको खसरा संख्या 368 की पूर्वी माठ पर सड़क से खसरा संख्या 364 की माठ तक दर्ज किया जावे तथा आगे पुनः खसरा संख्या 380 में मिलाया जावें । खसर संख्या 380 को खसरा संख्या 368 व 390 के मध्य है को हटाने पर जितना रकबा खातेदारी में दर्ज किया जाता है उतना ही रकबा पुन खातेदारी में से कम कर 368 की माठ पर कायम किया जाने वाला रास्ता में लिया जावें । तहसीलदार चितवाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त दुरस्ति राजस्व रिकोर्ड में करे। तहसीलदार चितलवाना को पालना हेतु तहरीर जारी हो । पक्षकार खर्चा अपना – अपना वहन करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(हनुमानाराम)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11.5.2023 को मजमें आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः– 67 / 2022

प्रार्थी

भाखराराम पुत्र खम्मुराम
जाति विश्नोई निवासी तैतरोल
तहसील चितलवाना

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना
2. कालूराम पुत्र खम्मुराम
3. पूनमाराम पुत्र खम्मुराम
4. वरजुदेवी पत्नि खम्मुराम

कौम विश्नोई निवासी तैतराल तहसील चितलवाना

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

संशोधित निर्णय **दिनांक** 28/02/2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. दिनांक 27.02.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 11.05.2023 प्रकरण संख्या 67 / 2022 मे प्रार्थी भाखराराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना पारित किया गया था। उक्त निर्णय मे खसरा संख्या 368 मे से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हेतू आदेश पारित हुआ है। जबकि खसरा संख्या 368 के बजाय खसरा संख्या 378 दर्ज करना था। खसरा संख्या 368 इस प्रकरण से सम्बधित नही है एवं इस स्थान के आस–पास नही है, इनकी दूरी ज्यादा है अतः पारीत निर्णय मे खसरा संख्या 368 के बजाय खसरा 378 दर्ज करने हेतु संशोधित आदेश फरमावे।

हमने उक्त प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया । जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2079 में खेत खसरा संख्या 378 रकबा 1.28 हैक्टर भमि प्रार्थी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है

अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 11.05.2023 को संशोधित करते हुए खसरा संख्या 368 के बजाय खसरा संख्या 378 करने हेतु संशोधित किया जाता है। शेष निर्णय दिनांक 11.05.2023 यथावत रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:37 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमानाराम आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर–चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 28/02/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
सहायक कलेक्टर–चितलवाना (उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)